

**दिनांक 20.07.2025 से दिनांक 26.07.2025 तक हत्या के शीर्ष में प्रतिवेदित संवाद की विवरणी:—**

क्र०सं०	जिला	प्रतिवेदित कांड
1	पटना	05
2	भोजपुर	05
3	गयाजी	03
4	समस्तीपुर	03
5	नवादा	02
6	सारण	02
7	सिवान	01
8	अरवल	01
9	अररिया	01
10	मधुबनी	01
11	रोहतास	01
12	बेतिया	01
13	गोपालगंज	01
14	लखीसराय	01
15	बक्सर	01
16	सीतामढ़ी	01
17	मधेपुरा	01
18	कटिहार	01
19	भागलपुर	01
20	बेगूसराय	01
21	मुंगेर	01
22	सुपौल	01
23	जहानाबाद	01
24	मुजफ्फरपुर	01
25	जमुई	01
26	औरंगाबाद	01
	कुल	40

क्र०सं०	जिला / थाना	संक्षिप्त विवरणी	कांड धारा सहित	गिरफ्तारी की सं०	अभ्युक्ति
1	पटना / खिरीमोड़	दिनांक 20.07.2025 को 10:30 बजे थाना से 2.5 कि०मी० दक्षिण पश्चिम ग्राम-बनौली बुजुर्ग में जैठनी देवी (65 वर्ष) पति स्व० बीरन राम की हत्या उनके पुत्र सत्येन्द्र राम द्वारा फैंट-मुक्का से सीने पर मारकर कर दी गयी।  घटना का कारण खाना बनाने को लेकर हुआ विवाद बताया गया है।	इस सम्बन्ध में खिरीमोड़ थाना कांड सं०-151/25, दिनांक-20.07.2025 धारा 103(1)/238 भा०न्या०सं० के अन्तर्गत सत्येन्द्र राम के विरुद्ध अंकित किया गया है।	01	
2	पटना / फुलवारीशरीफ	दिनांक 19.07.2025 को समय करीब 18:00 बजे थाना से 02 कि०मी० पश्चिम मौर्या विहार कॉलोनी के नाला में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया।  शव की पहचान मंजेश कुमार (40 वर्ष) पे० रमेश सिंह उर्फ बबन सिंह सा० मौर्या विहार कॉलोनी, लोहा पटरी, थाना फुलवारी शरीफ के रूप में की गयी है।	इस सम्बन्ध में गुमशुदगी सम्बन्धी फुलवारी शरीफ थाना कांड सं०-1090/25, दिनांक-13.07.2025 धारा 146(3) भा०न्या०सं० के अन्तर्गत अंकित किया गया है।		

3	पटना / दुल्हन बाजार	दिनांक 21.07.2025 को 09:50 बजे थाना से 03 कि०मी० पश्चिम ग्राम भलुआ में आदित्य कुमार (32 वर्ष) पे० विजय शर्मा सा० भलुआ की हत्या उनके ग्रामीण नीतीश कुमार पे० उमेश सिंह एवं अन्य द्वारा गोली मारकर कर दी गयी। घटना का कारण जमीनी विवाद होना बताया गया है। घटनास्थल से 01 देशी कट्टा एवं 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है।			
4	पटना / जानीपुर	दिनांक 22.07.2025 को 06:00 बजे थाना से 05 कि०मी० उत्तर पश्चिम ग्राम मुरादपुर में शोभा देवी (52 वर्ष) पति स्व० शम्भू दयाल सा० मुरादपुर थाना जानीपुर जिला पटना की हत्या उनके बहनोई शंकर कुमार पे० वृजनन्दन पासवान साकिन जौतिया थाना गौरीचक जिला पटना के द्वारा गोली मारकर कर दी गयी।			
5	पटना / मनेर	दिनांक 25.07.2025 को 07:15 बजे थाना से 04 कि०मी० उत्तर पूरब व्यापुर सोना ईट भट्टा के पास एक अज्ञात पुरुष उम्र (35 वर्ष) का सड़ा गला शव प्लास्टिक के बोरा में बन्द बरामद किया गया है।			
6	भोजपुर / नगर	दिनांक 20.07.2025 को 16:00 बजे थाना से 01 कि०मी० उत्तर पूरब ग्राम भलुई में मो० मुन्ना (28 वर्ष) पे० जमालुद्दीन अंसारी सा० भलुई को उनका भाई सोनी अंसारी एवं अन्य द्वारा चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। जख्मी की मृत्यु इलाज के क्रम में सदर अस्पताल, आरा में हो गई। घटना का कारण मृतक द्वारा एक विवादित महिला से शादी किये जाने का उनके भाईयों द्वारा विरोध किया जाने को लेकर हुआ विवाद बताया गया है।	इस सम्बन्ध में नगर थाना कांड सं०-473/25, दिनांक-20.07.2025 धारा 126(2)/118(2)/109(1)/103(1)/3(5) भा०न्या०सं० के अंतर्गत मो० सोनी सहित 06 नामजद के विरुद्ध अंकित किया गया है।	01	
7	भोजपुर / सिन्हा ओ०पी०	दिनांक 21.07.2025 को 10:00 बजे थाना से 200 मीटर पूरब ग्राम लक्ष्मीपुर में कांति देवी (56 वर्ष) पति स्व० देवलखन भगत ग्राम लक्ष्मीपुर को उनके पड़ोसी विरेन्द्र भगत पे० ठाकुर भगत एवं अन्य द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। जख्मी को इलाज हेतु सदर अस्पताल, आरा ले जाया गया जहाँ चिकित्सकों द्वारा उन्हे मृत घोषित कर दिया गया।	इस सम्बन्ध में सिन्हा थाना कांड सं० 64/25 दिनांक 21.07.2025 धारा 126(2)/115(2)/118(1)/103(1)/352/351(2)/3(5) भा०न्या०सं० के अन्तर्गत विरेन्द्र भगत पे० ठाकुर भगत सहित 08 नामजद के विरुद्ध अंकित किया गया है।	06	
8	भोजपुर / उदवंतनगर	दिनांक 23.07.2025 को 10:15 बजे थाना से 11 कि०मी० पूरब ग्राम-बेलौर स्थित बंगला नं० 1 के पास मोटरसाइकिल से आ रहे 01. धर्मेन्द्र यादव (35 वर्ष), पे०-अवधेश यादव, 02. राजू कुमार (40 वर्ष), पे०-राम सुरेश यादव, दोनों सा०-पवार, थाना-पवना, जिला-भोजपुर के ऊपर मोटरसाइकिल सवार 02 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा की गई फायरिंग में धर्मेन्द्र यादव की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई तथा राजू कुमार जख्मी हो गये। जख्मी राजू कुमार को इलाज हेतु सदर अस्पताल, आरा भेजा गया है।			

9	भोजपुर/आयर	<p>दिनांक 24.07.2025 को 20:30 बजे थाना से 12 कि०मी० पूरब ग्राम-भेड़री में ददन सिंह (49 वर्ष), पे०-हरिकिशोर सिंह, सा०-भेड़री एवं लल्लू उर्फ मंतोष, पे०-हरि गोबिन्द सिंह के पक्षों के बीच मारपीट एवं फायरिंग की घटना हुई। इस घटना में भगवान सिंह (50 वर्ष), पे०-हरि किशोर सिंह तथा ददन सिंह गोली लगने से जख्मी हो गये।</p> <p>घटना का कारण भूमि विवाद बताया गया है। इलाज के क्रम में भगवान सिंह की मृत्यु सदर अस्पताल, आरा में हो गई।</p>			
10	भोजपुर/मुफरिसल	<p>दिनांक 24.07.2025 को 20:00 बजे थाना से 16 कि०मी० पश्चिम जोखरपुर कल्याणपुर पुल के पास से एक अज्ञात महिला (25 वर्ष) का हाथ पैर बांधकर हत्या किया हुआ शव सड़ा गला अवस्था में बरामद हुआ है।</p>			
11	गया/आमस	<p>दिनांक 20.07.2025 को 08:40 बजे थाना से 03 कि०मी० दक्षिण ग्राम हरिहरपुर में कमलेश दास (41 वर्ष) पे० रघुनंदन दास ग्राम मसुरीवार थाना आसम का धारदार हथियार से मारकर हत्या किया हुआ शव बरामद हुआ।</p>			
12	गया/टनकुप्पा	<p>दिनांक 18.07.2025 को 23:00 बजे थाना से 12 कि०मी० पूरब ग्राम बरडीहा दुखी माँझी टोला में विरजू माँझी (60 वर्ष) पे० स्व० विशुनधारी माँझी को इनके ग्रामीण रविन्द्र माँझी पे० मौली माँझी एवं अन्य द्वारा लाठी डंडा से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण कर लिया गया। घटना का कारण डायन करने का आरोप बताया गया है। अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल से 25 कि०मी० दूरी पर वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम रघुनाथपुर स्थित खेत में गड़ा हुआ अपहृत का शव दिनांक 20.07.2025 को प्रातः 05:00 बजे बरामद हुआ।</p>	<p>इस सम्बन्ध में टनकुप्पा थाना कांड सं० 161/25 दिनांक 19.07.2025 धारा 191(2)/190/126(2)/115(2)/109/140(1)/135(2)/303(2)/352/351(2) भा०न्या०सं० के अन्तर्गत रविन्द्र माँझी पे० मौली माँझी सहित 07 नामजद एवं 04-05 अज्ञात के विरुद्ध अंकित किया गया।</p>	02	
13	गयाजी/वजीरगंज	<p>दिनांक 24.07.2025 को 19:00 बजे थाना से 15 कि०मी० उत्तर-पूरब ग्राम बीहयान में संजय कुमार यादव (34 वर्ष), पे० जितेन्द्र यादव, सा० बीहयाईन की हत्या संजय यादव, चंदन यादव दोनो पे० महेन्द्र यादव एवं अन्य के द्वारा लाठी डंडा से मारपीटकर कर दी गई। घटना का कारण मोटरसाइकिल में ठोकर लगने को लेकर हुआ विवाद बताया गया है।</p>	<p>इस संबंध में वजीरगंज थाना काण्ड सं०-489/25, दिनांक 25.07.25, धारा 191(2)/191(3)/190/126/115(2)/103(1)/302(2)/352/351(2) भा०न्या०सं० के अंतर्गत संजय यादव सहित 14 अन्य के विरुद्ध अंकित किया गया है।</p>		
14	समस्तीपुर/मुसरीघरारी	<p>दिनांक 21.07.2025 को प्रातः 05:00 बजे थाना से 05 कि०मी० पश्चिम ग्राम गंगापुर स्थित सड़क किनारे मो० सैफ (12 वर्ष) पे० मो० मुस्तकीम साकिन घुरसर थाना मुफरिसल जिला समस्तीपुर का मारपीट कर हत्या किया हुआ शव बरामद किया गया।</p>			

		परिजनों द्वारा ग्रामीण मो0 अख्तर पर जमीनी विवाद में मारपीट कर हत्या कर देने का आरोप लगाया गया है।			
15	समस्तीपुर/ मोहदीनगर	दिनांक 22/23.07.2025 की रात्रि 01:45 बजे थाना से 08 कि0मी0 दक्षिण पश्चिम ग्राम-मटिऔर में विशनपुर बेडी पंचायत के वर्तमान सरपंच सुनिल राय (38 वर्ष), पे0-लाल बाबू राय सा0- मटिऔर थाना मोहिउद्दीनगर की हत्या उनके ग्रामीण विपिन राय पे0 शिबू राय एवं अन्य के द्वारा गोली मारकर कर दी गई। आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा आरोपी विपिन राय को पकड़ कर मारपीट कर जख्मी कर दिया गया।  घटना का कारण ट्रैक्टर के चालक को रखने को लेकर हुआ विवाद बताया गया है। जख्मी आरोपी विपिन राय को बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल समस्तीपुर से डी0एम0सी0एच0 दरभंगा रेफर किया गया है। घटनास्थल से 01 पिस्टल, 03 खोखा बरामद किया गया है।			
16	समस्तीपुर/ मुफरिस्सल	दिनांक 24.07.2025 को 18:30 बजे थाना से 2.5 कि0मी0 पूरब ग्राम-जितवारपुर स्थित चाँदनी चौक के पास सुमित कुमार उर्फ महाकाल (27 वर्ष), पे0-रामनन्दन राय, सा0-जितवारपुर हसनपुर को 02 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया गया।  जख्मी का सदर अस्पताल, समस्तीपुर में इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई।			
17	नवादा/रजौली	दिनांक 20.07.2025 को 06:15 बजे थाना से 15 कि0मी0 उत्तर पश्चिम ग्राम-विजवन के पास संजय कुमार (20 वर्ष), पे0-संतोष कुमार सिंह, सा0-दरियापुर रजौली, थाना-रजौली का हत्या किया हुआ शव बरामद हुआ। मृतक के गर्दन पर जख्म का निशान पाया गया है। मृतक दिनांक 19.07.2025 को तारगीर बाजार स्थित अपनी इलेक्ट्रीक दूकान को बंद कर मोटरसाइकिल से अपने घर के लिये निकले थे जो घर नहीं पहुँचे।			
18	नवादा/नारदीगंज	दिनांक 21.07.2025 को 06:30 बजे थाना से 13 कि0मी0 पूरब ग्राम जोराबर बिगहा स्थित पोखरा में सोनु कुमार (17 वर्ष) पे0 सुरेन्द्र चौहान साकिन जोरावर बिगहा का चाकू मारकर हत्या किया हुआ शव बरामद हुआ। अनुसंधान के क्रम में बॉबी देओल (17 वर्ष) पे0 विजय चौहान को हिरासत में लिया गया एवं इनके स्वीकारोक्ति पर मृतक का मोबाइल बरामद हुआ है। घटना का कारण मृतक का अभियुक्त के पत्नी से बात करना एवं गंदा मजाक करना बताया गया है।			
19	सारण/एकमा	दिनांक 20.07.2025 को 19:30 बजे थाना से 01 कि0मी0 पूरब ग्राम हंसराजपुर में हार्डवेयर व्यवसायी रौशन सिंह (30 वर्ष) पे0 सुनिल सिंह सा0 हंसराजपुर थाना एकमा को 03 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है। जख्मी की मृत्यु इलाज के क्रम में सदर अस्पताल, छपरा में हो गई।	इस सम्बन्ध में एकमा थाना कांड सं0-177/25, दिनांक-21.07.2025 धारा 103(1) भा0न्या0सं0 के अन्तर्गत अज्ञात के विरुद्ध अंकित किया गया है।		

20	सारण/गरखा	दिनांक 25.07.2025 को करीब 16:30 बजे थाना से 2.5 कि०मी० पश्चिम गरखा चिरौंद सड़क के पास लवकुश माँझी (25 वर्ष), पे० सुदर्शन माँझी सा० गड़खा चंडाल चौक की हत्या उनके ग्रामीण सोहेल अंसारी पे० असगर अंसारी सहित 06 के द्वारा गोली मारकर कर दी गई। घटनास्थल से 01 खोखा बरामद किया गया है। घटना का कारण ताड़ी पीने को लेकर हुआ विवाद बताया गया है।	इस सम्बन्ध में गड़खा थाना कांड सं० 574/15 दिनांक 25.07.2025 धारा 126(2)/115(2)/103(1)/61(2)/3 51(2)(3)/3(5) भा०न्या०सं० एवं 27 आर्म्स एक्ट 3(1)(त)/3(2)(अ) एस०सी०/एस०टी० के अंतर्गत सोहेल अंसारी सहित 06 के विरुद्ध अंकित किया गया है।		
21	सिवान/महादेवा	दिनांक 19.07.2025 को 15:30 बजे थाना से 02 कि०मी० पूरब स्थित पकड़ी मोड़ के पास प्रेम प्रसंग को लेकर रवि कुमार (18 वर्ष), पे०-हृदयानन्द, सा०-तीन भेड़िया, थाना-बड़हरिया की हत्या 03-04 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा चाकू मारकर कर दी गई।			
22	अरवल/किंजर	दिनांक 18/19.07.2025 की रात्रि थाना से 12 कि०मी० पश्चिम ग्राम मखमीलपुर में मालती देवी (31 वर्ष) पति रामकुमार सा० मखमीलपुर थाना-किंजर की हत्या उनके ग्रामीण रंजन कुमार एवं अन्य के द्वारा जहर खिलाकर कर दी गयी।	इस संबंध में किंजर थाना कांड सं०-113/25, दि०-19.07.2025 धारा-103(1)/123/3(5) भा०न्या०सं० के अंतर्गत रंजन कुमार सहित 03 नामजद के विरुद्ध अंकित किया गया है।		
23	अररिया/जोगबनी	दिनांक 20.07.2025 को 12:30 बजे थाना से 500 मीटर उत्तर पश्चिम स्थित रेलवे स्टेशन जोगबनी के पास महेश राम (32 वर्ष) पे० जोहरलाल राम सा० खजूरबाड़ी वार्ड नं०-15 थाना जोगबनी का शव बरामद हुआ। मृतक मुस्कान वस्त्रालय, जोगबनी कर्मि थे, जो 02-03 दिन पहले वहाँ से गायब होने की बात बताई गई है।			
24	मधुबनी/पंडौल	दिनांक 20.07.2025 की रात्रि 22:00 बजे थाना से 02 कि०मी० दक्षिण पूरब ग्राम ब्रह्मउतरा में शंकर मंडल (48 वर्ष), पे० स्व० रामचरित्र मंडल ग्राम ब्रह्मउतरा थाना पंडौल की हत्या उनके ग्रामीण गौतम कुमार ठाकुर पे० जितेन्द्र ठाकुर एवं अन्य द्वारा गोली मारकर कर दी गई। घटना का कारण मृतक के पुत्र पंकज मंडल के द्वारा गौतम कुमार ठाकुर की बहन से 06 माह पूर्व प्रेम प्रसंग कर शादी कर लेने तथा 06 माह बाद ये दोनों घर आये थे, इसी को लेकर हुआ विवाद बताया गया है।			
25	रोहतास/करबन्दिया	दिनांक 18/19.07.2025 की मध्य रात्रि में थाना से 04 कि०मी० दक्षिण पूरब ग्राम फाजिलपुर में निर्माणधीन टाउनशीप में तैनात सुरक्षा गार्ड संजय सिंह (38 वर्ष) पे० ललन सिंह सा० वजीरगंज थाना करबन्दिया की हत्या सीताराम चौधरी पे० राजेश्वर चौधरी सा० फाजिलपुर सहित 05 अन्य एवं 01-02 अज्ञात अपराधकर्मि के द्वारा किसी भोथड़े हथियार से सिर के आसपास कुचकर कर दिया गया। घटना का कारण रात्रि में निर्माणधीन टाउनशीप में छड़ चोरी करने के समय विरोध करने की बात बतायी गई है।	इस सम्बन्ध में करबन्दिया थाना कांड सं० 79/25, दिनांक-20.07.2025, धारा-103 भा०न्या०सं० के अंतर्गत सीताराम चौधरी सहित 05 नामजद एवं 01-02 अज्ञात के विरुद्ध अंकित किया गया है।		

26	बेतिया/गौनाहा	दिनांक 20.07.2025 को 07:00 बजे थाना से 12 कि०मी० दक्षिण पश्चिम ग्राम सलेमपुर सरेह में एक 25 वर्षीय अज्ञात पुरुष का गला दबाकर हत्या किया हुआ शव बरामद किया गया है।  शव का अभी तक पहचान नहीं हो पायी है। शव का अन्त्यपरीक्षण कराकर पहचान हेतु शीतगृह में रखा गया है।			
27	भागलपुर/लोदीपुर	दिनांक 21.07.2025 को 08:30 बजे थाना से 2.5 कि०मी० पश्चिम ग्राम कोरहा स्थित मंडल टोला में सुजीत मंडल (30 वर्ष) पे० शंकर मंडल की हत्या उनके छोटे भाई सुमित मंडल द्वारा चाकू मारकर कर दी गयी। प्राथमिकी अभियुक्त सुमित मंडल को गिरफ्तार किया गया है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।	इस सम्बन्ध में लोदीपुर थाना कांड सं० 169/25 दिनांक 21.07.2025 धारा 103(1) भा०न्या०सं० के अन्तर्गत सुमित मंडल के विरुद्ध अंकित किया गया है।		
28	बेगूसराय/डंडारी	दिनांक 21.07.2025 को 19:30 बजे थाना से 10 कि०मी० दक्षिण पश्चिम ग्राम राजोपुर नावघाट में हरेराम पासवान (40 वर्ष) पे० स्व० रामविलास पासवान सा० राजोपुर नावघाट थाना डंडारी की हत्या अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर कर दी गई।  घटना का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है।			
29	मुंगेर/धरहरा	दिनांक 21.07.2025 को 20:00 बजे थाना से 10 कि०मी० पूरब ग्राम बाबानाम केवलम के पास योगेन्द्र यादव उर्फ चुहो यादव (45 वर्ष) पे० स्व० हरिहर यादव सा० नया टोला मातादी की हत्या उनके ग्रामीण मुन्ना यादव पे० मक्खन यादव एवं अन्य द्वारा मारपीट कर कर दी गयी।  घटना का कारण पूर्व का विवाद होना बताया गया है।			
30	सुपौल/वीरपुर	दिनांक 22.07.2025 को 13:30 बजे थाना से 11 कि०मी० पूरब कोशिकापुर में सरिया देवी (65 वर्ष) पति स्व० भट्टन मेहता सा० कोशिकापुर वार्ड नं०-13 थाना वीरपुर का हत्या किया हुआ शव सड़े-गले अवस्था में बरामद किया गया। मृतिका सरिया देवी दिनांक-19.07.2025 से लापता थी जिस सम्बन्ध में वीरपुर थाना कांड सं०-258/25, दिनांक-02.07.2025 धारा 137(2)/140(1)/3(5) भा०न्या०सं० के अन्तर्गत रामाकान्त मेहता पे० स्व० पंची मेहता सा० बसमतिया वार्ड नं०-4 थाना बसमतिया जिला अररिया सहित 08 नामजद के विरुद्ध अंकित किया गया है। अभियुक्त के साथ मृतिका का सम्पत्ति विवाद था न्यायालय में भी वाद चल रहा है।			
31	जहानाबाद/कल्पा	आज दिनांक 23.07.2025 को 06:00 बजे थाना से 03 कि०मी० दक्षिण पश्चिम ग्राम-लालसे बिगहा में कैलू यादव उर्फ अवधेश यादव, पे०-रामभजन यादव, सा०-लालसे, थाना-कल्पा ओ०पी०, जिला-जहानाबाद की हत्या उनके पड़ोसी			

		<p>धर्मवीर यादव, पे0-दिलीप यादव एवं अन्य द्वारा लाठी-डंडा से मार-पीटकर कर दी गई।</p> <p>घटना का कारण दिनांक 22.07.2025 को गेहूँ सुखाने के क्रम में पानी गिर जाने के कारण मारपीट की घटना हुई थी, जिसको लेकर पुनः आज सुबह दोनो पक्षों के बीच मारपीट होने पर घटना घटित हुई।</p>			
32	मुजफ्फरपुर/सदर	<p>दिनांक 23.07.2025 को 20:30 बजे थाना से 04 कि0मी0 दक्षिण पश्चिम स्थित मंझौलिया चौक के पास कवाड़ी कारोबारी मो0 गुलाल (40 वर्ष) पे0 मो0 मैदीन साकिन मंझौलिया को उनके ग्रामीण मो0 तुफैल पे0 मो0 यूसुफ एवं अन्य द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी।</p> <p>घटना का कारण मृतक एवं आरोपी के बच्चों के बीच विवाद होना बताया गया है।</p>			
33	जमुई/सिमुलतला	<p>दिनांक 23.07.2025 को प्रातः 03:30 बजे थाना से 03 कि0मी0 उत्तर पश्चिम ग्राम-पीपराडीह कनौदी में मुनीजा खातुन (30 वर्ष) पति इरशाद अंसारी की हत्या उनके पति इरशाद अंसारी पे0 नसरुद्दीन अंसारी एवं अन्य 04 नामजद के द्वारा फाँसी लगाकर कर दी गई।</p> <p>घटना का कारण आपसी विवाद बताया गया है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य बतायी गयी है।</p>	इस सम्बन्ध में सिमुलतला थाना कांड सं0-68/25, दिनांक-23.07.2025, धारा-103(1)/61(2)/3(5) भा0न्या0सं0 के अन्तर्गत इरशाद अंसारी सहित अन्य 04 नामजद के विरुद्ध अंकित किया गया है।		
34	औरंगाबाद/मदनपुर	<p>दिनांक 23.07.2025 को 17:30 बजे थाना से 07 कि0मी0 उत्तर-पश्चिम ग्राम-बेलहर में प्रेम कुमार (25 वर्ष) पे0 भिखर राम की उनके पिता भिखर राम पे0-चमरू राम एवं भाई मुन्ना कुमार एवं नीतीश कुमार के द्वारा लाठी-डंडा से मारपीट कर हत्या कर दी गई।</p> <p>घटना का कारण घरेलू विवाद बताया गया है।</p>	इस सम्बन्ध में मदनपुर थाना कांड सं0-304/25, दि0-24.07.2025 धारा-126(2)/115(2)/103(1)/3(5)/352 भा0न्या0सं0 के अंतर्गत भिखर राम, मुन्ना कुमार एवं नीतीश कुमार के विरुद्ध अंकित किया गया है।		
35	बक्सर/नगर	<p>दिनांक 24/25.07.2025 की रात्रि 23:00 बजे थाना से 04 कि0मी0 पश्चिम मठिया मोड़ के पास राजू कुमार (20 वर्ष) पे0 बलवीर यादव, सा0 मठिया मोड़ थाना-नगर को राहुल कुमार पे0 नामालुम सा0 मठिया एवं अन्य के द्वारा गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया।</p> <p>जख्मी को मृत्यु इलाज के क्रम में सदर अस्पताल बक्सर में हो गई। घटना का कारण दोस्तों के साथ शराब पार्टी में हुये विवाद बताया गया है।</p>		03	
36	सीतामढ़ी/पुनौरा	<p>दिनांक 23/24.07.2025 की रात्रि 01:00 बजे थाना से 3.5 कि0मी0 दक्षिण ग्राम राघोपुर बखरी में बैद्यनाथ पासवान (60 वर्ष) पे0-स्व0 भुटा पासवान सा0-राघोपुर बखरी को अज्ञात अपराधकर्मीयों द्वारा चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया एवं इन्हें बचाने</p>			

		<p>आये अभय कुमार (35 वर्ष) पे0 स्व0 जंगबहादुर को चाकू से मारकर हत्या कर दिया गया।</p> <p>जख्मी का इलाज सदर अस्पताल, सीतामढ़ी में कराया गया है। घटना का कारण खेत का बटाईदारी का विवाद बताया गया है।</p>			
37	मधेपुरा/ग्वालपारा	<p>दिनांक 22/23.07.2025 की रात्रि 12:00 बजे थाना से 04 कि0मी0 पश्चिम ग्राम श्याम ऋषिदेव टोला में सुशीला देवी (36 वर्ष) पति विलास सदा सा0-श्याम ऋषिदेव टोला की हत्या उनके पति विलास सदा पे0 महंती ऋषिदेव द्वारा गला दबाकर कर दी गई।</p> <p>घटना का कारण घरेलू विवाद बताया गया है।</p>	इस संबंध में ग्वालापाड़ा थाना काण्ड सं0-139/25, दिनांक 23.07.25, धारा 103(1) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत विलास सदा के विरुद्ध अंकित किया गया है।	01	
38	कटिहार/कदवा	<p>दिनांक 23.07.2025 को 19:00 बजे थाना से 10 कि0मी0 उत्तर पूरब स्थित ग्राम परवैली पछुवारी टोला में अमित कुमार (12 वर्ष) पे0 संतोष शर्मा की हत्या उनके पिता संतोष शर्मा द्वारा गला दबाकर कर दी गयी।</p> <p>घटना का कारण कबूतर बेचने को लेकर हुआ विवाद बताया गया है।</p>	इस संबंध में कदवा थाना काण्ड सं0-179/25, दिनांक 24.07.25, धारा 103(1) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत संतोष शर्मा के विरुद्ध अंकित किया गया है।	01	
39	लखीसराय/बड़हिया	<p>ज दिनांक 25.07.2025 को 08:45 बजे थाना से 10 कि0मी0 पूरब ग्राम खुँटहा चेतन टोला स्थित गंगा नदी के पास अमन कुमार (14 वर्ष) पे0 निलेश कुमार सा0 खुँटहा का गोली मारकर हत्या किया हुआ शव बरामद किया गया।</p> <p>परिजनों के द्वारा ग्रामीण नाबालिग रौनक कुमार (15 वर्ष) पे0 राजेश सिंह एवं कन्हैया कुमार (17 वर्ष) पे0 पवन सिंह पर हत्या का आरोप लगाया गया है।</p> <p>घटना का कारण मृतक का किराना के दुकान से पैसा चुराकर लाने का दवाब दोनों नाबालिग आरोपी के द्वारा दिया जा रहा था।</p> <p>घटना में शामिल दोनों नाबालिग रौनक कुमार (15 वर्ष) एवं कन्हैया कुमार (17 वर्ष) को निरुद्ध किया गया है तथा घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल एवं 01 खोखा बरामद किया गया है।</p>		02	
40	गोपालगंज/कुचायकोट	<p>दिनांक 25/26.07.2025 की रात्रि 02:00 बजे थाना से 06 कि0मी0 पूरब ग्राम-बेदौली में शोभा देवी (32 वर्ष), पति-संतोष यादव, सा0-बेदौली की हत्या उनके पति संतोष यादव, पे0-महंत यादव द्वारा धारदार हथियार से सिर धड़ से अलग करके कर दी गई।</p> <p>घटना का कारण मृतिका का अपने पति के साथ नशापान को लेकर हुआ विवाद बताया गया है।</p>			